

न्यायालय नं० तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 373/18 तारीख रजू 23/11/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का 605 बनाम
 श्री संतोष पुत्र शंकर जाति जाट निवासी शीखाडा तहसील
 मधवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 13/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम मधवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री संतोष ने ग्राम शीखाडा को भूमि ख.न. 560 रकबा 0.01 किस्म जंगल/फसल रवि / खरीफ संवत 2074 में खेती कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 560 रकबा 0.01 किस्म जंगल/फसल वाके ग्राम शीखाडा से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.32 नं० 58 गुणा 16.25 शक्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल खेती को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रजिस्टर नं० के पेज नं० 120 पर
 वर्ष 2017-18 में पालना निलामी
 की शक्ति तावती नम्बर 1625
 की जमा कायमी की गई।
 दिनांक 15/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार
 तहसील-महवा

**नायब तहसीलदार
 महवा (दौसा)**